

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-जीओ-43 /सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई(एससीएसपी)10-11 दिनांक 23 फरवरी, 2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-122/26-ब0प्र0-2011-02बजट/2010, दिनांक 22-2-2011 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-83 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि में से रू0 6248.04 लाख (रूपये बासठ करोड़ अड़तालिस लाख चार हजार मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि संलग्नक के कालम-3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :-

- 1- आवंटित की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष एससीएसपी हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 2- आवंटित की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
- 3- आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।
- 4- आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय सीमा से कर लिया जाय किसी भी परिस्थितियों में बैंक में न रखा जाय।
- 5- आवंटित की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा। यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा। आवंटित धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे समयान्तर्गत नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।
- 6- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लेंगे कि एससीएसपी मद/टीएसपी योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7- आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन होता है तो सम्बन्धित मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी आदि का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना वित्त विभाग तथा इस कार्यालय को दी जाय।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जाएगा । प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात दूसरी किश्त आहरण की जा सकेगी ।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-इन्दिरा आवास योजना(के0-75/रा0-25-रा0)-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

9- आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ-179 पर कर ली गयी है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
22/2/11
(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक:-जीओ-43/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई(एससीएसपी)10-11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
- 3- सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 5- समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
- 6- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
राज्य योजना आयोग-2 नियोजन अनुभाग-4
- 8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
- 9- विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, बजट प्रकोष्ठ/समाज कल्याण विभाग को उनके पत्रांक
-122/26-ब0प्र0-2011-02बजट/2010, दिनांक 22-2-2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

पत्रांक-जीओ-43 / सम्प्रेक्षा / आईएवाई(एससीएसपी) / 2010-11, दिनांक 23-02-2011 का
संलग्नक (इंदिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन)

(धनराशि लाख रु० में)			
क्र०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	AGRA	0.00	220.65
2	ALIGARH	28.67	158.01
3	ALLAHABAD	166.87	333.73
4	AMBEDKARNAGAR	0.00	208.37
5	AZAMGARH	242.11	484.16
6	BADAUN	152.61	340.56
7	BAGPAT	0.00	9.38
8	BAHRAICH	391.36	782.74
9	BALLIA	348.97	707.29
10	BALRAMPUR	165.97	335.69
11	BANDA	71.80	188.85
12	BARABANKI	306.92	613.83
13	BAREILLY	121.48	260.88
14	BASTI	0.00	375.56
15	BIJNOR	0.00	333.38
16	BULANDSHAHR	0.00	225.47
17	CHANDAULI	75.52	152.22
18	CHITRAKUT	79.07	115.33
19	DEORIA	343.68	687.34
20	ETAH	68.21	136.42
21	ETAWAH	72.28	152.30
22	FAIZABAD	123.83	247.67
23	FARRUKHABAD	94.80	189.62
24	FATEHPUR	0.00	295.31
25	FIROZABAD	76.44	152.89
26	G.B. NAGAR	0.00	24.30
27	GHAZIABAD	0.00	71.33
28	GHAZIPUR	164.53	329.06
29	GONDA	351.57	703.13
30	GORAKHPUR	315.52	631.04
31	HAMIRPUR	0.00	56.84
32	HARDOI	239.02	478.05
33	HATHRAS	0.90	62.96
34	J.B.F. NAGAR	0.00	102.19
35	JALAUN	48.26	96.53
36	JAUNPUR	0.00	635.91

पत्रांक-जीओ-43 / सम्प्रेक्षा / आईएवाई (एससीएसपी) / 2010-11, दिनांक 23-02-2011 का
संलग्नक (इंदिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन)

(धनराशि लाख रू० में)			
क्र०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
37	JHANSI	137.04	189.80
38	KANNAUJ	0.00	140.87
39	KANPUR DEHAT	113.81	227.63
40	KANPUR NAGAR	0.00	233.49
41	KANSHIRAM NAGAR	52.68	105.37
42	KAUSHAMBHI	86.87	177.29
43	KHERI	679.82	1359.64
44	KUSHINAGAR	1081.38	2166.55
45	LALITPUR	0.00	35.26
46	LUCKNOW	0.00	124.73
47	MAHOBA	21.54	43.06
48	MAHRAJGANJ	0.00	285.60
49	MAINPURI	0.00	151.12
50	MATHURA	0.00	70.21
51	MAU	0.00	183.76
52	MEERUT	0.00	0.00
53	MIRZAPUR	0.00	106.20
54	MORADABAD	0.00	345.14
55	MUZAFARNAGAR	3.40	134.54
56	ORRAIYA	0.00	78.78
57	PILIBHIT	0.00	170.10
58	PRATAPGARH	0.00	162.79
59	RAE BARELI	0.00	207.13
60	RAMPUR	0.00	193.82
61	S. R. NAGAR	0.00	64.65
62	S.K.NAGAR	0.00	114.67
63	SAHARANPUR	0.00	159.11
64	SHAHJAHANPUR	0.00	396.12
65	SHRAWASTI	0.00	136.69
66	SIDHARTHANAGAR	0.00	118.76
67	SITAPUR	0.00	408.55
68	SONBHADRA	0.00	79.24
69	SULTANPUR	0.00	182.71
70	UNNAO	0.00	226.31
71	VARANASI	21.11	112.27
	STATE TOTAL	6248.04	19790.950

(रूपये बासठ करोड़ अड़तालिस लाख चार हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)

अपर आयुक्त (लिखा)

ग्राम्य विकास, उ० प्र०।

079

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

✓ आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: 22 फरवरी, 2011

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-532/सम्प्रेक्षा/2010-11, दिनांक 18 जनवरी, 2011 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-347/26-ब0प्र0-2010-2(बजट)/2010, दिनांक 21 अप्रैल, 2010, शासनादेश संख्या-582/26-ब0प्र0-2010-2बजट/2010, दिनांक 06 जुलाई, 2010, शासनादेश संख्या-657/26-ब0प्र0-2010-02बजट/2010, दिनांक 06 अगस्त, 2010 तथा शासनादेश संख्या-15/26-ब0प्र0-2010-2 बजट/2010, दिनांक 12 जनवरी, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से धनराशि ₹0 6248.04 लाख (₹0 बासठ करोड़ अडतालिस लाख चार हजार मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।
- 2- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय न किया जाये । ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। जनपदों द्वारा धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जाये।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये । किन्ही भी परिस्थितियों में बैंक में न रखा जाये ।
- 4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।
- 5- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 6- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना वित्त विभाग को दे दी जाये ।
- 7- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश आहरित कर सके ।
- 8- जनपदों को राज्यांश, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जारी किया जायेगा।

.....2/-

श्री/सम्प्रेक्षा
22

- 9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा । प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात दूसरी किश्त आहरित की जा सकेगी ।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-इन्दिरा आवास योजना (के.75/रा.25-रा.)-27-सब्सिडी" के नामों डाला जायेगा ।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-273/दस-2011, दिनांक 17.02.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- (1)/26-ब0प्र0-2011-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भा0स0 कृषि भवन, नई दिल्ली ।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
- 6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 8- समस्त परियोजना निदेशक, उ0प्र0 ।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/राज्य योजना आयोग-2
- 10- नियोजन अनुभाग-3/5/एन0आई0सी0 की प्रति ।
- 11- गार्डफाइल/कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

